न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
136 / 2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	06.11.2017	21.12.2017

उनवान सरकार बनाम संजय पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी जयसिंहसार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का शाहपुर ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम जयसिंहसार की राजकीय भूमि गै0मु0 बजड़ ख0न0 76 कुल रकबा 2.54 है0 किस्म गै0मु0 बजड़ में से 8 वर्ग फुट भूमि पर अतिकमी श्री संजय पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी जयसिंहसार ने अवैध रूप से प्रचलित रास्ते में दो सीढी (पेड़ी) बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी श्री संजय पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी जयसिंहसर को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित रहा। एवं नोटिस की तामिल उसके खुले मकान पर चस्पा किये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण प्रचलित रास्ते में दो सीढी (पेड़ी) बनाकर जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में प्रचलित रास्ते में दो सीढी (पेड़ी) बनाकर अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से गोबर,छड़ी,पत्थर,कुरड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 2.23/— का अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.02 की 50 गुणा जुर्माना राशि 1/—रूपये बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली/हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भॅवर लाल कुमावत)
नायब तहसीलदार बुहाना
(कार्यवाहक तहसीलदार बुहाना)

पृष्ठ 92
23 1

Suman

Scanned by CamScanner